69

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 439—तीन/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26.03.08 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 617/निगरानी/2005—06.

.....

देववती पत्नी राजमन
निवासी ग्राम पड़रिया
तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—शंकर प्रसाद तनय रामनिहोर पटेल
2—शिवमूरत तनय रामनिहोर पटेल
3—सूर्यदीन तनय रामनिहोर पटेल
4—चूड़ामणि तनय रामनिहोर पटेल
5—पीताम्बर तनय रामनिहोर पटेल
समस्त निवासीागण पड़रिया
तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 23-5-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 26.03.08 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका ने तहसीलदार के न्यायालय में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रीवा के आदेश के पालन में कार्यवाही किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां पर तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुये दिनांक 29.10.04 को आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण के द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जो 583/अ–6/04–05 पर दर्ज होकर उसमें दिनांक 05.04.06 को आदेश पारित करते हुये निगरानी स्वीकार की गई। इससे दुखित होकर आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 617/निगरानी/2005–06 पर दर्ज होकर दिनांक 26.3.08 को आदेश पारित करते हुये निगरानी निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून एवं प्रकिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदिका द्वारा आराजी नम्बर 1001 रकवा 1.75 एकड़ ग्राम पड़रिया के नामांतरण हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान के यहां प्रस्तुत किया। वसीयत के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण स्वीकार किया जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के यहां निगरानी प्रस्तुत की गई जबकि तहसीलदार का आदेश मेरिट पर था। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदिका को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया इस

लिये उनका आदेश निरस्त किया जाना चाहिये लेकिन अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया इसलिये उनके द्वारा भी आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदिका को कोई समन्स, इश्तहार प्राप्त नहीं हुआ बल्कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अधिवक्ता नियुक्त कर फर्जी बहस होना लिखकर आदेश पारित करा लिया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदिका की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 26.03.08 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकगण के स्वत्व व कब्जे दखल की आराजियात हैं जिनमें लगातार अनावेदकगण बतौर मालिक काबिज है तथा अभिलेखों में भूमिस्वामी एवं काबिज लगातार दर्ज है। लेकिन बिना अनावेदकगण को पक्षकर बनाये शासन म0 प्र0 को पक्षकार बनाकर अनावेदकगण का स्वत्व व कब्जे वाली भूमियों का इत्तलायावी के आधार पर नामांतरण आवेदक के पक्ष में किया गया था वह विधि विरूद्व होने के कारण अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया है तथा अपर कलेक्टर का आदेश अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है जो पूर्ण विधि प्रकिया से पारित किया गया है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आवेदिका को कभी कोई वसीयतनामा रामधार व उनकी पत्नी ने न तो लिखाया और आवेदिका ग्राम पड़रिया की निवासी नहीं है फर्जी वसीयतनामा के आधार पर अपने को पड़रिया का निवासी ही कहकर आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर फर्जी बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करा लिया था जो अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त किया गया है। अंत में उनके

द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदिका की निगरानी निरस्त की जावे। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 26.03.08 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि मान0 द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.7.89 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायलय में द्वितीय अपील कमांक 369/89 संचालित थी तब कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण कमांक 166/अ–6/निगरानी/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 13.9.04 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित की गई थी। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में नामांतरण की कार्यवाही स्थगित की थी तो तहसीलदार के द्वारा उन्हीं आराजियातों के संबंध में अनावेदकगण को बिना सूचना एवं सुनवाई के आदेश पारित किया गया है जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं था। अपर कलेक्टर जिला रीवा का आदेश उचित होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.3.08 विधि प्रकिया से उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 617/निगरानी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 26.03.08 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर